

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.2(ग)(निप)आर-529/अलेस-1/740
आदेश

दिनांक 01/01/2020

श्री राकेश कुमार सलेअ-1 (लिंक नम्बर 9124) कार्यालय विकास अधिकारी पंचायत समिति संगरिया से स्थानान्तरणधीन उप वन संरक्षक चूरु द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में एस बी सिविल रिट पीटिशन संख्या 18092/2019 प्रस्तुत किये जाने पर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर बेन्च जोधपुर ने दिनांक 16.12.2019 को पारित निर्णय के अन्तिम पैरा में निम्नांकित अंकन किया गया है :-

"Consequently, the order impugned dated 28-11-2019 passed by the respondents is quashed and set aside. The respondents are directed to pass fresh order taking into consideration the directions issued by this court in its order dated 14-10-2019 and observations made hereinbefore and without getting prejudice on account of the fact that order passed by the respondents has been set aside by this Court."

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.12.2019 द्वारा विभाग के आदेश क्रमांक 619 दिनांक 28.11.2019 को अपास्त किये जाने पर, वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 251901232 दिनांक 30.12.2019 से प्राप्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में विभाग के आदेश संख्या 482/2019-20 दिनांक 18.09.2019 के क्रम 71 पर कालम संख्या 5 पर श्री राकेश कुमार सलेअ-1 (लिंक नम्बर 9124) का पदस्थापन को "उप वन संरक्षक, चूरु" के स्थान पर "पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर" में संशोधित किया जाता है तथा तदनुसार श्री राकेश कुमार सलेअ-1 द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 23.12.2019 का निस्तारण किया जाता है ।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक: एफ.2(ग)(निप)आर-529/अलेस-1/740

दिनांक 01/01/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर ।
2. कोषाधिकारी जोधपुर (शहर) को एस.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या 18092/2019 श्री राकेश कुमार बनाम राजस्थान राज्य में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर बेन्च जोधपुर ने निर्णय दिनांक 16.12.2019 के सन्दर्भ में ।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति संगरिया, हनुमानगढ़
4. उप वन संरक्षक, चूरु
5. उप निदेशक (विधि) / उप विधि परामर्शी कार्यालय हाजा को एस.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या 18092/2019 श्री राकेश कुमार बनाम राजस्थान राज्य के सन्दर्भ में ।
6. उप निदेशक (एसीपी) को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
7. श्री राकेश कुमार सलेअ-1 (लिंक नम्बर 9124) (आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय कोषालय हनुमानगढ़) को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि वे अविलम्ब नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर पालना प्रस्तुत करें ।
8. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय
9. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)